बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या–06/निबंधन–43/2017 परि0................./

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार। पटना, दिनांक ....

विषयः– M/s-Tata Motors Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s-Tata Motors Ltd. के द्वारा प्रस्तुत उनके उत्पाद मॉडलों के संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ARAI, Pune द्वारा प्रदत्त टाईप एप्रुवल प्रमाण–पत्र एवं अन्य कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

Sl. No.	Base Model	T.A Certificate No/Date	Types of Vehicle	Ex-Showroom Price
1	TATA LPK 1613 CRi 6 BSIV, Tipper Chassis With Full Forward Control Non Sleeper Fixed Cab and its Seventy (17) Variants	AALN 0379/23.11.2016	N3	Rs. 20,35,000/-
2	TATA PRIMA LX 2523 K 6×4 BSIV and its 07 Variants	AALN 0380/24.11.2016	Tipper Chassis with Non Sleeper Tilt Cab N3	Rs. 33,70,000/-
3	TATA LPK 1613 CRi 6 BSIV, Tipper Chassis With Full Forward Control Non Sleeper Tilt Cab and its Three (03) Variants	AAHN 0109 F01/30.09.2015	Tipper Chassis N3	Rs. 20,35,000/-
4	TATA ACE ZIP BSIV and its 02 Variants	AALN 0089 F02/28.09.2016	Goods Carrier - N1	Rs. 3,02,500/-
5	TATA ACE MEGA XL BSIV	AAJN 0199 V01/28.12.2016	Goods Carrier - N1	Rs. 4,50,000/-
6	TATA LPK 2518 CR BSIV, Fully Built Tipper with Non Sleeper Cab, std suspension & 14 cum box tipper body and its 52 Variants	AALN 0037/21.01.2016	N3	Rs. 31,57,700/-

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली–1989 के नियम–126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र–22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम–93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा ।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन अधोहस्ताक्षरी का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जबावदेही आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम–1994 की धारा–6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगें तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगें।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा–6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 सेड्यूल-III के अनुरुप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियन्ट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन
ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

F:\6\Registration Format.Docx........ 605

ज्ञापांक : ....   पटना, दिनांक : ....

प्रतिलिपिः– Authorised Signatory:- For Tata Motors Ltd., 109 "Adharshila Complex" South Gandhi Madain Patna-800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 2598   पटना, दिनांक : 16/5/17

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software के Master Box में प्रविष्टि करने हेतु/I.T. Manager, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/5
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना